राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : पु.मू./2026/ दिनांक :

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत स्नातक/ डिप्लोमा/ प्रोफेशनल सेमेस्टर प्रथम दिसम्बर 2025 तथा स्नातकोत्तर सेमेस्टर के अन्तर्गत आयोजित प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम वेबसाईट www.uniraj.ac.in एवं erp.univraj.org पर जारी कर दिए गये है। साथ ही वेबसाईट erp.univraj.org पर विद्यार्थी के लोगिन आई डी से भी परीक्षा परीणाम देखा जा सकता है।

अतः समस्त परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त वेबसाईट का निरन्तर अवलोकन करें तथा आवश्यकतानुसार पुनर्मूल्यांकन आवेदन/आर.टी.आई. 2005 के अन्तर्गत उत्तरपुस्तिका की प्रति हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन करना सुनिश्चित करें। उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन/ आर.टी.आई. के अन्तर्गत उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने की निर्धारित तिथि निकलने के पश्चात् प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं होगा।

संलग्न : 1. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना दिशा-निर्देश

2. आर.टी.आई.-2005 के अन्तर्गत उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने के दिशा-निर्देश

-sd-
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : पु.मू./2026/1478-79 दिनांक : 13.5.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय संघटक/संबद्ध विभाग, राज.वि.वि., जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय, जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राज.वि.वि., जयपुर।
4. जन-सम्पर्क अधिकारी, राज.वि.वि., जयपुर।
5. अतिरिक्त कुलसचिव, राज.वि.वि., जयपुर।
6. निजी सचिव, कुलगुरू/कुलसचिव, राज.वि.वि., जयपुर।
7. सहायक कुलसचिव, परीक्षा-IV/V, राज.वि.वि., जयपुर।

सहायक कुलसचिव (पु.मू.)

राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
फोन नं. 0141–2708824, 2256670

क्रमांकः– परीक्षा– III-A/R.E/2026/ दिनांक

पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना/सुचना का अधिकार अधिनियम–2005 आवेदन संबंधी सूचना

विश्वविद्यालय परीक्षा–2026 (सत्र 2025–26 में आयोजित परीक्षायें) स्नातक सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर–2025 व मई–2026 (**NEP 2020**) स्नातक वार्षिक–2026, स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर–2025 व मई–2026 एवं वार्षिक पद्धति आधारित पाठ्यक्रम–2026 के परीक्षा परिणाम जारी किए जा रहे हैं, जो परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना/सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वे विश्वविद्यालय नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर वेबसाईट **www.univraj.org** तथा **NEP** के परीक्षार्थी **NEP Portal** पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं, ऐसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा परिणाम **RW-EX/RW-EN/RL and Ordinance** के **Remarks** के साथ प्रदर्शित हो रहा हैं, उन्हें भी इन्हीं निर्धारित तिथियों के दौरान उक्त वेबसाईट पर दिए गए पुनर्मूल्यांकन लिंक पर जाकर अपने प्राप्तांको को देखकर आवेदन करना होगा। ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि समाप्त होने के पश्चात् पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना एवं सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

-Sd-
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांकः– परीक्षा– III-A/R.E/2026/ 754-763 दिनांक 17.4.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं।

1 समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय, जयपुर।
2 बित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3 निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि.,जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रसारित करने का श्रम करें।
4 जनसम्पर्क अधिकारी, रा.वि.वि. जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त सूचना को विज्ञप्ति के रूप में दैनिक समाचार पत्र (दैनिक भास्कर के जयपुर व दौसा संस्करण) में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
5 निजी सचिव, कुलगुरु/कुलसचिव, रा.वि.वि. जयपुर।
6 समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7 संबंधित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त दिशा–निर्देश को पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र पोर्टल पर प्रसारित करें।
8 रक्षित पत्रावली।

सहायक कुलसचिव
(पुनर्मूल्यांकन)

राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
फोन नं. 0141–2708824, 2256670

क्रमांकः परीक्षा–III-A/R.E/2026 दिनांकः

परीक्षा–2026 के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन–पत्र भरने संबंधी दिशा–निर्देश

राजस्थान विश्वविद्यालय परीक्षा–2026 (सत्र 2025–26 में आयोजित परीक्षाओं) के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु अध्यादेश संख्या 157–A के प्रावधानो के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन–पत्र निम्नानुसार भरे जायेंगेः–

1. समस्त स्नातक सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर–2025 व मई–2026 (**NEP 2020**), स्नातक वार्षिक परीक्षा–2026, स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर–2025 व मई–2026 एवं वार्षिक पद्धति आधारित परीक्षा–2026 के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन–पत्र वेबसाईट **www.univraj.org** पर **Revaluation Portal** तथा **www.erp.univraj.org** के माध्यम से भरे जायेंगे।
2. जिन परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम **RW-EX/RW-EN/RL** के **Remakrs** के साथ प्रदर्शित हो रहा हैं या जो परीक्षार्थी किसी अध्यादेश के माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित हुये हैं एवं परीक्षा परिणाम रूका हुआ हैं। ऐसे परीक्षार्थी निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन पोर्टल **www.univraj.org** पर जाकर **Revaluation Portal** पर अपने अनुक्रमांक प्रविष्ट कर अंकों की स्थिति के आधार पर यदि पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन करना चाहतें हैं तो वे समस्त इच्छुक परीक्षार्थी भी 15 दिवस की समयावधि में ही पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात् पृथक से कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय प्रावधान एवं सिंडीकेट के निर्णयानुसार परीक्षा के 50 प्रतिशत प्रश्न–पत्रों में पुनर्मूल्यांकन **(Revaluation)** करवाया जा सकता हैं। पुनर्मूल्यांकन **(Revaluation)** शुल्क रूपये 520/– प्रति प्रश्न–पत्र निर्धारित हैं।
4. पुनर्गणना **(Scrutiny)** प्रदत्त अकों के योग में त्रुटि अथवा किसी प्रश्न/खण्ड के अमूल्यांकित होने पर आधारित होगी। पुनर्गणना **(Scrutiny)** शुल्क रूपये 180/– प्रति प्रश्न–पत्र निर्धारित हैं, जो चालान पर भी अंकित होगा।
5. अन्तिम तिथिः– विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिवस तक ही पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात् संबंधित परीक्षा की वेबसाईट स्वतः बन्द हो जायेगी।
6. आवेदन–पत्र भरने एवं शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया–परीक्षार्थियो को निर्धारित परीक्षा शुल्क **Portal** पर **Online Payment Gateway** माध्यम से जमा कराना होगा। परीक्षा शुल्क एवं आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(अ) सर्वप्रथम छात्र वेबसाईट **www.univraj.org** या **www.erp.univraj.org** पर **visit** कर अपनी कक्षा से सम्बंधित ऑनलाईन पुनर्मूल्यांकन/पुनगणना आवेदन–पत्र परीक्षा के अनुक्रमांक से भरेंगे।

(ब) पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना की निर्धारित शुल्क **Online Payment Gateway** पर क्रेडिट/डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवा सकते हैं, तत्पश्चात् आवेदन पत्र की दो प्रतियों में प्रिंट प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र की दोनो प्रतियां एवं जमा शुल्क की रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।

(स) **एक बार शुल्क जमा होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में शुल्क वापस देय नही होगा।**

नोटः– सूचित किया जाता हैं कि पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन–पत्रो की हार्डकॉपी विश्वविद्यालय में जमा करवाने की आवश्यकता नहीं हैं तथा परीक्षार्थी आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी को अपने पास सुरक्षित रखें और विश्वविद्यालय द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करें।

-Sd-
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांकः– परीक्षा– III-A/R.E/2026/745–752 दिनांक 17.4.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं।

1. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि बैंक गेटवे द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क की राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खाते में जमा करवा दी गई हैं एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcillation करवाना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि.,जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रसारित करने का श्रम करें।
3. जनसंपर्क अधिकारी, रा.वि.वि. जयपुर।
4. निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सहायक, कुलगुरु/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि. जयपुर।
5. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. संबंधित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त दिशा–निर्देश को पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र पोर्टल पर प्रसारित करें।

सहायक कुलसचिव
(पुनर्मूल्यांकन)

राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
फोन नं. 0141–2708824, 2256670

क्रमांकः– परीक्षा– III-A/R.E/2026/ दिनांक :–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा–निर्देश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् राजस्थान विश्वविद्यालय परीक्षा–2026 (सत्र 2025–26में आयोजित परीक्षायें) उत्तरपुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र निम्नानुसार भरे जायेंगेः–

1. समस्त स्नातक सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर–2025 व मई–2026 (**NEP** 2020) स्नातक वार्षिक परीक्षा–2026, स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक सेमेस्टर दिसम्बर–2025 व मई–2026 एवं वार्षिक पद्धति आधारित परीक्षा–2026 की उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र वेबसाईट **www.univraj.org** पर **Revaluation Portal** तथा **www.erp.univraj.org** के माध्यम से भरे जायेंगे।
2. उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी को स्वयं की फोटो आई.डी. व परीक्षा प्रवेश–पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य हैं।
3. **शुल्कः–** सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु, निर्धारित रूपये 90/– प्रति उत्तरपुस्तिका जो चालान पर अंकित होगा।
4. **अन्तिम तिथिः–** विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिवस तक ही उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात् संबंधित वेबसाईट स्वतः बन्द हो जायेगी।
5. **आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा कराने की प्रक्रियाः–** परीक्षार्थियों को निर्धारित परीक्षा शुल्क **Online Payment Gateway** माध्यम से जमा करना होगा। शुल्क एवं आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(अ) सर्वप्रथम छात्र वेबसाईट **www.univraj.org पर Visit** कर अपनी कक्षा से संबंधित ऑनलाईन आवेदन पत्र मुख्य परीक्षा के अनुक्रमांक से भरेंगे।

(ब) परीक्षार्थी निर्धारित शुल्क **Online Payment Gateway क्रेडिट, डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिग के माध्यम से जमा करवा सकते हैं,** तत्पश्चात् आवेदन पत्र का दो प्रतियों में प्रिंट प्राप्त कर ले। आवेदन फॉर्म की दोनो प्रतियां एवं शुल्क जमा की रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।

(स) एंक बार शुल्क जमा होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में शुल्क वापस देय नही होगा।

नोटः– सूचित किया जाता हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पश्चात् परीक्षार्थी आवेदन पत्र की हार्डकॉपी को अपने पास सुरक्षित रखें तथा विश्वविद्यालय द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करें।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के नियम

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.univraj.org** पर **Revaluation Portal** तथा **www.erp.univraj.org** पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
2. उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ शुल्क 90/– रूपये प्रति उत्तरपुस्तिका ऑनलाईन जमा कराना होगा।
3. परीक्षार्थी स्वयं की उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं, जो कि स्वयं की ई–मेल पर ही भेजी जावेगी। अतः परीक्षार्थी अपना ई–मेल पता उचित प्रकार से व सही अंकित करें।
4. उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी संबंधित परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में ऑनलाईन आवेदन कर सकता हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। **साथ ही पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही प्रदान की जायेंगी।**
5. परीक्षक द्वारा मूल्यांकित की गई उत्तरपुस्तिका के सम्बन्ध में परीक्षार्थी द्वारा की गई किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपूर्ण/अस्पष्ट व गलत जानकारी देने पर उसका आवेदन पत्र स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी। गलत जानकारी देने की स्थिति में परीक्षार्थी पर विधिक कार्यवाही भी की जा सकती हैं।

परीक्षा नियंत्रक

राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
फोन नं. 0141–2708824, 2256670

क्रमांकः– परीक्षा– III-A/R.E/2026/765–74 दिनांक :– 17.4.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं।

1 समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय, जयपुर।
2 वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि बैंक गेटवे द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क की राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खाते में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcillation करवाना सुनिश्चित करें।
3 निदेशक, इन्फोंनेट सेन्टर, रा.वि.वि.,जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रसारित करने का श्रम करें।
4 जनसम्पर्क अधिकारी, रा.वि.वि. जयपुर ।
5 निजी सचिव, कुलगुरु/कुलसचिव, रा.वि.वि. जयपुर।
6 समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7 संबंधित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त दिशा–निर्देश को पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र पोर्टल पर प्रसारित करें।
8 रक्षित पत्रावली।

सहायक–कुलसचिव
(पुनर्मूल्यांकन)